सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (सीओपीएलओटी) लोक सभा

उत्पत्ति

सत्र के दौरान, प्रत्येक दिन सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की संख्या और भिन्नता को देखते हुए, सभा, पटल पर रखे गए प्रत्येक दस्तावेज की स्वयं गहन जांच करने की स्थिति में नहीं थी। इसके कारण समिति के गठन की आवश्यकता पड़ी। इसके परिणामस्वरूप, 01 जून 1975 को पहली बार सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति गठित की गई थी। इस समिति का गठन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 305क के तहत किया जाता है।

समिति की संरचना

समिति में लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 15 सदस्य होते हैं। समिति का सभापति, समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति एक वर्ष तक पदधारण करेगी।

कृत्य

नियम 305ख के अनुसार समिति के कृत्य यह होंगे कि वह मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे गए सभी पत्रों की जांच करेगी और सभा को इन बातों के बारे में प्रतिवेदन देगीः-

(क) क्या संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के उन उपबंधों का पालन किया गया है, जिसके अंतर्गत पत्र सभा पटल पर रखा गया है;

(ख) क्या पत्रों को सभा पटल पर रखने में कुछ अनुचित विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं;

(घ) क्या पत्र के हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों संस्करण सभा पटल पर रखे गए हैं; और

(ङ) क्या हिन्दी संस्करण के सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों के बारे में विवरण दिया गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं?

[नियम 305ख(1)]

समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों के संबंध में अन्य ऐसे कृत्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

[नियम 305ख(2)]

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों से संबंधित मामले सभा में उठाने पर प्रतिबंध</u>

यदि कोई सदस्य नियम 305(ख) के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसके द्वारा समिति के पास भेजा जाएगा और उसके द्वारा ऐसा मामला सभा में नहीं उठाया जाएगा।

[नियम 305ग]

समिति का कार्यकरण

लोक सभा के पटल पर रखे गए पत्रों की जांच

प्रत्येक सत्र के दौरान, पत्र (प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत बनाए गए सांविधिक नियमों और आदेशों, जिनकी जांच अधीनस्थ विधान संबंधी समिति अथवा किसी अन्य संसदीय समिति द्वारा की जाती है, को छोड़कर) मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, समीक्षा विवरण और विलंब विवरण (केवल विलंब के मामले में) सम्मिलित हैं।

सचिवालय इन पत्रों की जांच करता है और तत्पश्चात एक ज्ञापन तैयार करता है जिसमें ऐसे संगठनों की सूची अंतर्विष्ट होती है जिन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखाओं, समीक्षा विवरण को विलंब की अवधि (यदि कोई हो) के साथ सभा पटल पर रख दिया है।

तत्पश्चात, समिति ज्ञापन पर विचार करती है और उसे स्वीकार करती है और केवल उन मामलों को विचार के लिए लेती है जिसमें समिति द्वारा विलंब के ऐसे कारणों की आगे जांच के लिए असाधारण विलंब सम्मिलित होता है। यदि आवश्यक हो तो समिति इसके अधीन आने वाले विषयों की जांच से संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य ले सकती है।

प्रतिवेदन

समिति द्वारा मामले पर विचार विमर्श के बाद, सचिवालय, समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करता है। समिति के सभापति द्वारा अनुमोदन के पश्चात, समिति के सदस्यों को प्रारूप प्रतिवेदन परिचालित किया जाता है। समिति की बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है

जिसे संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना स्वीकार किया जाता है। समिति द्वारा स्वीकार करने और संबंधित मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन (केवल वर्णनात्मक भाग का) के बाद संगत कार्यवाही सारांश के साथ प्रतिवेदन को सभापति अथवा समिति के किसी प्राधिकृत सदस्य द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

<u>की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन</u>

समिति द्वारा की-गई ऐसी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाते हुए एक विवरण तैयार किया जाएगा जिसे मत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया गया है और इसे समिति के समक्ष उनके सूचनार्थ रखा जाएगा, जिसके बाद उसे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।

<u>तत्स्थानिक अध्ययन दौरे</u>

किसी संगठन आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं इत्यादि की जांच के दौरान, यदि समिति पाती है कि इन आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में असाधारण विलंब हुआ है और यदि समिति को जमीनी-हकीकत जानना आवश्यक महसूस हो तो, अध्यक्ष की पूर्व-अनुमति से विलंब के कारणों इत्यादि के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए वह एक तत्स्थानिक अध्ययन दौरा कर सकेगी।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने 5वीं लोक सभा से 17 दिसम्बर, 2021 तक कुल 279 प्रतिवेदन (202 मूल प्रतिवेदन और 77 की-गई-प्रतिवेदनों सहित) प्रस्तुत किए हैं।लोक सभा-वार ब्यौरा निम्नवत हैः-

लोक सभा का कार्यकाल	अवधि	मूल प्रतिवेदन	की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन	कुल
5वीं लोक सभा*	1971-1977	04	00	04
6ठी लोक सभा	1977-1980	20	02	22
7वीं लोक सभा	1980-1984	20	02	22
8वीं लोक सभा	1984-1989	16	09	25
9वीं लोक सभा	1989-1991	04	00	04
10वीं लोक सभा	1991-1996	18	04	22
11वीं लोक सभा	1996-1998	02	00	02
12वीं लोक सभा	1998-1999	02	01	03
13वीं लोक सभा	1999-2004	11	05	16
14वीं लोक सभा	2004-2009	16	05	21
15वीं लोक सभा	2009-2014	08	06	14
16वीं लोक सभा	2014-2019	34	17	51
17वीं लोक सभा	2019-2024	46	27	73#
कुल		**201**	**78**	**279**

***समिति का गठन 01.06.1975 को किया गया था।**

#17.12.2021 तक

*****